राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 912/2012/पाली

मैसर्स मंगल मोटर्स
आतेड बस स्टैण्ड,सुमेरपुर, पाली — अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–प्रथम,वृत–सुमेरपुर — प्रत्यर्थी

अपील संख्या 913/2012/पाली

मैसर्स विजय मशीनरी पार्ट्स
ओल्ड स्टेशन रोड, सुमेरपुर, पाली — अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–प्रथम,वृत–सुमेरपुर — प्रत्यर्थी

अपील संख्या 914/2012/पाली

मैसर्स वी.के.सेल्स कारपोरेशन
बस स्टैण्ड,सुमेरपुर, पाली — अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–प्रथम,वृत–सुमेरपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित

श्री वी.के.पारीक
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 30.08.2016

निर्णय

ये तीनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारियों की ओर से उपायुक्त(अपील्स) वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 7, 8 9/आरवेट/सुमेरपुर/10–11 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 02.02.2012 के विरूद्ध पेश की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम,वृत–सुमेरपुर (जिसे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 26(1)(बी) अन्तर्गत कर क्रमशः रू. 50,889/–, रू. 33,206/– एवं रू. 33,489/– व ब्याज क्रमशः रू. 26,462/–, रू.17,267/– एवं रू. 17,414/–आरोपित किया गया है, को यथावत रखते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये हैं, जिससे असन्तुष्ट होकर ये तीनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

चूँकि तीनों अपीलों में निर्णय हेतु विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियॉ तीनों पत्रावलियों पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा दिनांक 01.04.2006 से अधिनियम की धारा 3(2) के अन्तर्गत कर जमा कराने हेतु प्रशमन प्राप्त किया गया था। अधिसूचना क्रमांक 2112 एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005–06 दिनांक 09.06.2006 की पालना में दिनांक 31.03.2006 को शेष रहे कर योग्य अन्तिम स्टॉक पर पूर्ण कर की दर से कर जमा कराना था, जो व्यवहारियों द्वारा जमा नही कराया गया, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने अन्तिम रहे कर योग्य स्टॉक पर कर जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर को अमान्य करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2006 को शेष रहे कर योग्य स्टॉक पर पूर्ण कर की दर से कर क्रमशः रू. 50,889/–, रू. 33,206/– एवं रू.33,489/– व ब्याज क्रमशः रू. 26,462/–, रू.17,267/– एवं रू. 17,414/–आरोपित किया गया, जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने ''स्टाक पर कर की गणना दिनांक 31.03.2006 को निर्धारित कर के अनुसार की जायेगा, न कि दिनांक 01.04.2006 से'' अंकित करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिये हैं। उक्त प्रतिप्रेषण आदेशों के विरूद्ध कर बोर्ड में अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी व्यवहारियों की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया अधिसूचना दिनांक 09.06.2006 का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है। उनका कथन है कि दिनांक 31.03.2006 को शेष रहे स्टॉक पर कर की गणना दिनांक 31.03.2006 के अनुसार की जानी चाहिए थी जबकि कर निर्धारण अधिकारी कर की गणना 01.04.2006 से लागू दर से किया है,जो अनुचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया ।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेशों को विधिक बताते हुए प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा दिनांक 01.04.2006 से अधिनियम की धारा 3(2) के अन्तर्गत कर जमा कराने हेतु प्रशमन प्राप्त किया गया था। अधिसूचना

क्रमांक 2112 एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005–06 दिनांक 09.06.2006 की पालना में दिनांक 31.03.2006 को शेष रहे कर योग्य अन्तिम स्टॉक पर पूर्ण कर की दर से कर जमा कराना था, जो व्यवहारियों द्वारा जमा नही कराया गया, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने अन्तिम रहे कर योग्य स्टॉक पर कर जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर को अमान्य करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2006 को शेष रहे कर योग्य स्टॉक पर पूर्ण कर की दर से कर क्रमशः रू. 50,889/–, रू. 33,206/– एवं रू.33,489/– व ब्याज क्रमशः रू. 26,462/–, रू.17,267/– एवं रू. 17,414/–आरोपित किया गया,जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने प्रकरण प्रतिप्रेषित किये हैं।

अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषत कर निम्न निष्कर्ष अपीलाधीन आदेश में अंकित किया है "अधिसूचन दिनांक 09.06.2006 से स्पष्ट है कि जो व्यवसाई वेट एक्ट की धारा 3(2) में पंजीयन करके प्रशमन का लाभ लेंगे उनको अपने स्टाक पर full rate का टैक्स देना पडेगा। यहां पर दिनांक 31.03.2006 को अन्तिम रहे स्टॉक पर व्यवसाई ने कोई कर नहीं चुकाया है तथा स्टॉक पर करकी गणना दिनांक 31.03.2006 को निर्धारित दर के अनुसार की जायेगी, न कि दिनांक 01.04.2006 से। अतः प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।"

प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार करने पश्चात अपीलीय अधिकारी द्वारा दिया गया निष्कर्ष उचित है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित किये गये अपीलधीन आदेश में हस्तक्षेप करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। फलतः अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखा जाता है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य